

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता।

पत्रांक- २४३

विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, उज्ज्वली, बदायूँ।
/पिंडियोखण्ड-चतुर्थ, उज्ज्वली/

दिनांक- 16.11.2011

विषय- नये विद्युत संयोजन/नाम परिवर्तन/अतिरिक्त भार य भार घटाने के सम्बन्ध में।

श्री Rohitash Kumar

पुत्र श्री -Keshav

V.II-Scholarship
Khandaik

मो०

कनेक्शन संख्या

ग्रुप..... बुक संख्या.....

आवेदन संख्या:- 1000381900

प्रिय महोदय,
आपको अवगत कराना है कि आपका उपरोक्त विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हो चुका है, अतः आप किसी कार्य दिवस पर रु० 100/- के नॉनज्यू डीशियल स्टैम्प सहित B&L फॉर्म अनुबन्ध हेतु इस कार्यालय में उपस्थित हों।
अनुबन्ध उपरान्त 15 दिन के भीतर निम्न धनराशि खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायें।

1-प्रोसेस चार्ज	<u>00=00</u>
2-मीटर कॉस्ट	<u>4957=00</u>
3-सर्विस कनेक्शन चार्ज	<u>112282 =00</u>
4-जमानत की धनराशि	<u>3000=00</u>
कुल योग→	<u>120239 =00</u>

कृपया आपको सूचित करना है कि आपको उपरोक्त विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हो गया है। अतः आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप उपरोक्त रकम इस कार्यालय में 2 बजे से पहले जमा करने से पूर्व रु० 100 के नामज्यू डीशियल स्टैम्प पेपर, एक फोटो तथा रसीदी टिकट के साथतथादोग वाहों के साथ इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 3-30 बजे सायं तक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के लिए पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपस्थित हों। यदि दी गई तिथि तक उपरोक्तर कम जमान ही हुई तो कनेक्शन बगैर नोटिस के रद्द द समझा जायेगा।

यदि आप उपरोक्त राशि निर्धारित समय सीमा के भी तर जमा नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन बगैर किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। आप स्वीकृत विधा के अतिरिक्त अन्य किसी विधा के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं कर सकते हैं और आप ऐसा करते पाए तो आप पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

नियम व शर्तेः-

- (1) विद्युत उपयोग की दरें, मासिक व वार्षिक न्यूनतम गारन्टी के समय-समय पर ०००० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा लागू होंगी जो आप देय होंगी।
- (2) आपको भारतीय विद्युत अधिनियम १९१० तथा भारतीय नियमावली १५६ एवं विद्युत वितरण कोड - २००५ के प्राविधानों को पूर्णतः पा करना होगा।
- (3) नियम द्वारा समय-समय लागू Condition of Supply का आपको अनुपालन करना होगा।
- (3A) अनुबन्ध के समय जगीन जायदाद के प्रमाण पत्र खसरा, खतौनी/वयानामा/किरायानामा/अथवा अन्य प्रमाण पत्र जो अदालत मान्य हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (4) आपको परिषद के आदेशानुसार नलकूप का सामान आपके बाहन द्वारा ले जाना होगा तथा सब ए लाईन बनने में जो मजदूरी व सीमेंट की आवश्यकता होगी उसकी भी प्रबंध आपको करना होगा।

उपभोक्ता को B&L फार्म जमा करने वाल ही कनेक्शन दिया जाएगा।

/ निरीक्षक शुल्क :-

- (1) मीटर निरीक्षण शुल्क संपर्ये राज्य कोश में विद्युत निरीक्षण उत्तर प्रदेश शासन के लिये नियन्त्रित भाग में जमा करना होगा।
- (2) भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क यदि आप उपरोक्त नियम व शर्तों से राहगत हो तो इस पत्र की तिथि के अन्दर उपरोक्त धनराशि जमा कर दें। तथा आवेदक द्वारा 100/- संपर्ये के नानम्बुडिशियल स्टाम्प पेपर (5 पारापोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड यी फोटोकापी) व 2 गवाहों (प्रत्येक की 1 पासपोर्ट साइज फोटो एवं आधार कार्ड यी फोटोकापी) तथा नलकूप का जायेगा व उसके बाद आपका चारथापन सही पाये जाने पर कनेक्शन दिया जायेगा।

नोट :

1. इस टी०सी० के निर्गत होने के दिनांक से 90 दिनह के अन्दर टी०सी० का धन जमा करने एवं करने की बाध्यता है। निर्धारित अवधि के बाद स्वीकृत भार स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. आवेदक के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि से लाईन गुजरेगी, उन सभी व्यक्तियों के अनुबंध के समय व्यक्तिगत हलफनामा/सहमति उपरिथत होकर देनी होगी।
3. प्रावक्लन की धनराशि जनसुविधा केन्द्र पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाने एवं मैसेज के बाद ऑनलाइन जमा कर रखी इस खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
4. उपभोक्ता/आवेदक द्वारा प्रावक्लन जमा करने के बाद सहायक निदेयक विद्युत सुरक्षा बदायूँ से सम्पर्क कर चालान जमा कर एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति इस खण्ड कार्यालय को प्रेषित करें।
5. प्रावक्लन की धनराशि जमा करने के पश्चात मध्यांचल विद्युत वितरण नियम लिमिटेड से GTP अनुमोदन एवं साप्रगी निरीक्षण के पश्चात ही अधिकृत देंडर से सामग्री क्रय की जा सकेगी।

पत्रांक:-

/ वि०वि०ख०चतुर्थ उज्जानी वदायूँ/ दिनांक.....

अधिकारी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, उज्जानी

अधिकारी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, उज्जानी